

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ दूवे,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं. 1 फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान उप निवन्धक, (M)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

विषय उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ द्वारा अलकनन्दा इंकलेब के फ्लैट संख्या 3/T6-803 अवध विहार योजना लखनऊ का पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कर कब्जा प्राप्त कर सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि उपरोक्त विषयांकित फ्लैट मेरे द्वारा दिनांक 24.6.2019 को क्रय किया गया था, जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय के पचांक 25/Admin A/ दिनांकित 13 जुलाई 1998 के अनुपालन में प्रेषित की जा रही है-

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1- सेवा में आने की तिथि | 15.12.2008 |
| 2- वर्तमान कुल वेतन | 204224/- प्रतिमाह |

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ द्वारा निर्मित अवध विहार योजना अलकनन्दा में अधोहस्ताक्षरी को फ्लैट 3-T3/1402 आवंटित किया गया था। परिवर्तन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर फ्लैट सं. 3/T6-803 आवंटित किया गया। आवंटन के समय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा उक्त फ्लैट का कुल मूल्य 527000/- रुपया निर्धारित किया गया था। उक्त फ्लैट का आवंटन अधोहस्ताक्षरी को होने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से 4300000/- रुपये का ऋण लिया गया तथा शेष धनराशि वेतन से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को भुगतान की गई।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा उक्त सम्पत्ति का कुल मूल्य कब्जा के समय रुपया 5736621/- निर्धारित किया गया तथा विविध शुल्क, कार्पस फण्ड, सेवा कर व जी.एस.टी. के मद में कुल 854171/- रुपये निर्धारित किया गया तथा सम्पत्ति के क्रय किये जाने हेतु स्टाम्प की धनराशि 407000/- निर्धारित की गई।

भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ शाखा RACPC के द्वारा 4500000/- रु०

९

गृह ऋण स्वीकृत किया गया तथा भारतीय जीवन बीमा निगम सेक्रे लिए गये गृह ऋण को टेक ओवर किया गया और रूपया 3884000/- का भुगतान L.I.C को किया गया तथा शेष धनराशि 616000/- का भुगतान उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ को किया गया।

उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा 2.70 लाख के पंजीकरण का भुगतान जरिये चालान सं. 0566 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया गोमती नगर को दिनांक 19.9.14 को किया गया था। शेष धनराशि 1320794/- का भुगतान अधोहस्ताक्षरी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता सं. 30197261963 से बैंक ड्राफ्ट व चालान के द्वारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ को किया गया तथा 500000/- रूपये का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक शाखा फत्तेहगढ़ से व्यक्तिगत ऋण (लोन एप्लीकेशन I.D. 14012412) के द्वारा किया गया।

उक्त सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ से क्रय किये जाने के लिए 407000/- (चार लाख सात हजार) का e-Stamp सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा हजरतगंज से भारतीय स्टेट बैंक शाखा के बचत खाता सं. 30197261963 से उपरोक्त धनराशि NEFT करके क्रय किया गया। पंजीकरण के समय धनराशि 20060/- रूपये का भुगतान नकद किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की बचत खाता सं. 30197261963 से जो भुगतान आवास विकास परिषद लखनऊ को किया गया है, उस धनराशि का स्रोत वेतन से प्राप्त धनराशि है।

आवास विकास न्यायाधीश,
फाईल नं. 2686/19 दिनांक- 11-10-19
संलग्नक
11-10-19

भवदीय
(रवीन्द्र नाथ दूवे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं. 1 फर्रुखाबाद,
I.D.No. 6542

- 1- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा जारी प्रवेशन पत्र की छाया प्रति।
- 2- चालान सं. 0566 की छाया प्रति।
- 3- व्यक्तिगत ऋण की स्वीकृत की छाया प्रति।
- 4- भारतीय स्टेट बैंक RACPC लखनऊ द्वारा स्वीकृत गृह ऋण की छाया प्रति।
- 5- e-Stamp की छाया प्रति।